The Gazette of India

10028-6239

REGD. NO. D. L.-33004/99

EXTRAORDINARY भाग ॥।---खण्ड 4 PART III-Section 4

to the line the part contract of the gas

रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99

प्राधिकार से प्रकाशित Studi Cliffe Held the constructions and

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1401 नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2009/आवण 19, 1931 -- NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2009/SRAVANA 19, 1931 No. 140]

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग र्क्त न विकास से क्रम्प्रेस के देखें के बाद के अधिसूचना के जानन

नई दिल्ली, 7'अगस्त, 2009

र्स. एल-1/(3)/2009-केविविआ.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधितियम, 2003 की धास 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्ध्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् ;-------

अध्याय 1--प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ 1.

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 है ।

(2) ये विनियम ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा आयोग अधिसुचित करे :

परंतु यह कि इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख आयोग द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता की विस्तृत प्रक्रिया का अनुमोदन करने के पश्चात होगी ।

परिभाषाएं 2.

- (1)इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित न हो,---
 - (क) 'अधिनियम' से विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) अभिप्रेत है ;
 - (ख) 'आवेदक' से,
 - संयोजकता प्रदान करने के लिए 250 मेगावाट या उससे अधिक की संस्थापित क्षमता के उत्पादन (\mathbf{i}) कंद्र जिसमें 250 मेगावाट और उससे ऊपर की एक्सपोर्टेबल क्षमता के कैष्टिव उत्पादन संयंत्र या थोक उपमोक्ता भी सम्मिलित हैं, और

(ii) यथास्थिति, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की बाबत उत्पादन केंद्र, उपमोक्ता, विद्युत व्यापारी या वितरण अनुझप्तिवारी अभिप्रेत है:

- (ग) संयोजकता की बाबत 'थोक उपभोक्ता' से ऐसा कोई उपभोक्ता अभिप्रेत है जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली से अधिकतम 100 मेगावाट भार का प्रवाय करने के लिए आशयित है,
 - (घ) "आयोग" से अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्विष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

2881 GI/2009

| 2 | The second s | HE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY | [PART III-SEC. 4] |
|---|---|---|--|
| | | त्पादन संयंत्र, थोक उपभोक्ता या अंतर-राज्यिक पारेषण अन् षण प्रणाली से जुड़ने वाले राज्य अभिप्रेत हैं ; | नुज्ञप्तिंघारी भी है, के लिए |
| | (च) [*] उपभोक्ता [*] से अधिनियम की ध प्राप्त करने के लिए पात्र कोई भी | ारा 42 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य आयोग द्वारा य उपभोक्ता अभिप्रेत है ; | था विनिर्दिष्ट निर्बाध पहुंच |
| | (छ) "दिन" से 00.00 घंटे से आरंम हो | ने वाला तथा 24.00 घंटे समाप्त होने वाला दिन अभिप्रेत | ŧ. |
| | (ज) "विस्तृत प्रक्रिया" से इन विनियमें है; | ों के विनियम 6 में यथानिर्दिष्ट केंद्रीय पारेषण उपयोगिता i | द्वारा जारी प्रक्रिया अभिप्रेत |
| | (झ) "ग्रिड कोड" से अधिनियम की ध अभिप्रेत है ; | गरा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन आयोग | द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड |
| | (ञ) "अंतःराज्यिक इकाई" से ऐसा व्य किसी अन्य प्राधिकृत राज्य उपभोग | ाक्ति अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन क्ता द्वारा किया जाता है ; | । राज्य भार प्रेषण केंद्र या |
| | | द्युत प्राधिकरण द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित तथा तथा प्रचालन) विनियम 2006 के अनुसार संस्थापित इंटरफे | |
| | (ठ) 'दीर्ध-कालिक पहुंच' से 12 वर्ष उपयोग करने के लिए अधिकार अ | से अधिक किंतु 25 वर्ष से अधिक अवधि के लिए अंतर-रा 1मिप्रेत है ; | ज्यिक पारेषण प्रणाली का |
| | | यक्ति अभिप्रेत है जिसे दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान की गई । र उत्पादन का आबंटन किया गया है, अर्थात् केंद्रीय सर वेद्युत का प्रदाय ; | and the second |
| | (ढ) 'मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच' से प्रणाली का उपयोग करने के लिए | 3 मास से अधिक किंतु 3 वर्ष से अधिक अवधि के नि ! अधिकार अभिप्रेत है ; | लेए अंतर-राज्यिक पारेषण |
| | (ण) "मध्य-कालिक ग्राहक" से ऐसा व | व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान क | शे गई हों ; |
| | (त) "मास" से ब्रिटिश कैलेंडर के अनुर | सार कैलेंडर मास अभिप्रेत है; | |
| | (थ) "नोडल अभिकरण" से इन विनिय | मों के विनियम 4 में निर्दिष्ट केंद्रीय पारेषण उपयोगिता अभि | ग्रेत है; |
| | (द) "प्रादेशिक इकाई" से ऐसा व्यक्ति है; | अभिप्रेत है जिसकी मीटरिंग तथा ऊर्जा का लेखांकन प्रादे | शिक स्तर पर किया जाता |
| | (ध) "अल्प-कोलिक निर्बाध पहुंच" से विनियम 2008 में विहित अर्थ अभि | केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण गं भेप्रेत हैं; | में निर्बाध पहुंच) (संशोधन) |
| | | ो धारा 82 के अधीन गठित राज्य विद्युत विनियामक आय गठित संयुक्त आयोग भी सम्मिलित है; | गेग अभिप्रेत है तथा इसमें |
| | (प) [*] राज्य नेटवर्क [*] से राज्य पारेषण व्यक्ति का नेटवर्क अभिप्रेत है जि द्वारा अनुझप्ति प्रदान की गई हो ; | उपयोगिता के स्वामित्वाधीन अंतःराज्यिक पारेषण अनुझपि जसे राज्य के भीतर पारेषण लाइनें बिछाने या प्रचालित क | ौधारी या किसी अन्य ऐसे रने के लिए राज्य आयोग |
| | | सी अंतर-राज्यिक पारेषण क्षमता अभिप्रेत है जिसके विनि ारों के त्याग के कारण अप्रयुक्त होने की संभावना है । | यम 16 के अनुसार दीर्घ- |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - ten nor tere even to tended and to a cale | -> mai mfamfara -se è |

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों तथा पदों, जो यहां परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम या ग्रिङ कोड में परिभाषित हैं, का वहीं अर्थ होगा जो, यथास्थिति, अधिनियम, ग्रिड कोड या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों में है।

अध्याय 2

साधारण उपबंध

3. विस्तार

(1) ये विनियम इनके प्रवृत्त होने की तारीख से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की बाबत संयोजकता, दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच को लागू होंगे :

परंतु यह कि उत्पादन केंद्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र या थोक उपभोक्ता भी है, जो अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की संयोजकता चाहता है, संयोजकता के लिए लागू आवेदन किए बिना दीर्ध-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन नहीं कर सकता है।

परंतु यह और कि कोई भी व्यक्ति साथ-साथ में संयोजकता और दीर्ध-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन कर सकेगा :

4. नोडल अभिकरण

अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए संयोजकता, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान करने के लिए नोडल अभिकरण केंद्रीय पारेषण उपयोगिता होगी ।

5. आवेदन का फाइल किया जाना

संयोजकता या दीर्ध-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक पहुंच प्रदान करने के लिए आवेदन नोडल अभिकरण को किए जाएंगेः

परंतु यह कि व्यक्ति साथ ही साथ संयोजकता तथा दीर्ध-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन कर सकेगाः

परंतु यह और कि किसी पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को संयोजकता के लिए आवेदन किए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पारेषण प्रणाली की योजना समन्वित रीति से की जाती हैः

परंतु, तथापि, यह भी कि ऐसा होने पर भी, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता से भिन्न अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 8 के खंड (5) में यथा उपबंधित केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेगा ।

6. आवेदन फीस

विनियम 5 में निर्दिष्ट आवेदन के साथ नीचे विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस संलग्न होगी जो निम्नलिखित विस्तृत प्रक्रिया में केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा अधिकथित नाम तथा रीति में संदेय होगी :-

| क्रम | अंतःक्षेपित/आफ-टेकन | आवेदन फीस (रुपए लाख में) | | |
|------|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|
| सं. | इनटू/आईएसटीएस से ली जाने वाली ऊर्जा की मात्रा | संयोजकता के लिए | मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच | दीर्ध-कालिक पहुंच |
| 1. | 100 मेगावाट तक | 2 | 2 | 1 |
| 2. | 101 मेगावाट से अधिक किंतु 500 मेगावाट तक | 3 | 3 | 2 |
| 3. | 500 मेगावाट से अधिक किंतु 1000 मेगावाट तक | 6 | 6 | 3 |
| 4. | 1000 मेगावाट से अधिक | 9 | 9 | 4 |

in and the property with the second second

7. आवेदन पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा

आवेदन पर नोडल अभिकरण द्वारा नीचे दी गई विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्यवाही की जाएगी -

| आवेदन की प्रकृति | उस मास के अंतिम दिन के प्रारंभ होने पर कार्यवाही करने के लिए समय-सीमा जिसमें आवेदन नोडल अभिकरण को प्राप्त हुआ था |
|--------------------------|--|
| संयोजकता | 60 दिन |
| दीर्ध-कालिक पहुंच | - 120 दिन, जहां पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित नहीं है । |
| | - 180 दिन, जहां पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है । |
| मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच | 40 दिन |
| | |

अध्याय-3 संयोजकता

8. संयोजकता प्रदान करना

(1) संयोजकता के लिए आवेदन में आवेदक का भौगोलिक अवस्थान, अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के साथ अंतर-विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा अर्थात् उत्पादन की दशा में अंतःक्षेपित की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा तथा थोक उपमोक्ता की दशा में ली जाने वाली ऊजा की मात्रा जैसे व्यौरे तथा ऐसे अन्य व्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जैसा विस्तृत प्रक्रिया में केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा अधिकथित किया जाएः

परंतु यह कि उन मामलों में जहां एक बार आवेदन फाइल किया गया हो तथा तत्पश्चात् आवेदक के अवख्यान में कोई सारवान् परिवर्तन हो गया हो या अंतर राज्यिक पारेषण प्रणाली के भीतर अंतर-विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 100 मेगावाट से अधिक तक परिवर्तन हो गया है वहां आवेदक नया आवेदन फाइल करेगा जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर नोडल अभिकरण, प्रयुक्त की जाने वाली अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में, जिसमें राज्य परिषण उपयोगिता भी है, यदि राज्य नेटवर्क. के उपयोग किए जाने की संभावना है, में अंतर्वलित अन्य अभिकरणों के परामर्श तथा समन्वय के माध्यम से आवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में यथा विनिर्दिष्ट अंतर-संयोजन अध्ययन करेगा ।

(3) संयोजकता प्रदान करते समय, नोडल अभिकरण उस सब-स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विच यार्ड, जहां संयोजकता प्रदान की जानी है, का नाम विनिर्दिष्ट करेगा । यदि विद्यमान या प्रस्तावित लाइन के लूपिंग-इन तथा लूपिंग-आउट द्वारा संयोजकता प्रदान की जाती है तो नोडल अभिकरण संयोजन का स्थान तथा उस लाइन का नाम विनिर्दिष्ट करेगा जिस पर संयोजकता प्रदान की जानी है । नोडल अभिकरण समर्पित पारेषण लाइन की व्यापक डिजाइन विशेषताओं तथा समर्पित पारेषण लाइन के पूरा होने की समय-सीमा को अंतर्विष्ट करेगा ।

(4) आवेदक तथा सभी अंतर-राज्यिक पारेषण अनुझप्तिधारी (जिसमें केंद्रीय पारेषण उपयोगिता भी है) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिंड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 का अनुपालन करेंगे ।

(5) यथास्थिति, आवेदक या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुझप्तिधारी सब-स्टेशन या पूलिंग स्टेशन या स्विच यार्ड या उस पारेषण लाइन जिसकी पहचान उस नोडल अभिकरण द्वारा की गई है जहां संयोजकता प्रदान की जा रही है, का स्वामित्व रखने वाली केंद्रीय पारेषण उपयोगिता या अंतर-राज्यिक पारेषण अनुझप्तिधारी के साथ संयोजन करार पर हस्ताक्षर करेंगे:

परंतु यह कि यदि उत्पादन केंद्र या थोक उपभोक्ता की संयोजकता केंद्रीय परिषण उपयोगिता से भिन्न अंतर-राज्यिक परिषण अनुज्ञतिधारी की अंतर-राज्यिक परिषण प्रणाली को प्रदान की जाती है तब आवेदक, केंद्रीय परिषण उपयोगिता तथा ऐसे अंतर-राज्यिक परिषण अनुज्ञप्तिधारी के बीच केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिंड की संयोजकता के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2007 में यथा उपबंधित त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करेंगे।

[भाग 111-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(6) संयोजकता प्रदान करने से आवेदक को ग्रिड से किसी ऊर्जा के अंतर-विनिमय के लिए हकदार नहीं बनाएगी जब तक कि वह दीर्ध-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच या अल्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त नहीं कर लेता है ।

(7) उस उत्पादन केंद्र, जिसे ग्रिड से संयोजकता प्रदान की गई है, को संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किए जाने से पूर्व, यद्यपि किसी प्रकार की निर्बाध पहुंच प्राप्त करने से पूर्व भी, ग्रिड में अपनी इंफर्म ऊर्जा का अंतःक्षेपण करके परीक्षण, जिसमें पूर्ण मार परीक्षण भी सम्मिलित है, अनुज्ञात किया जाएगा, जो ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने की दृष्टि से ग्रिड की सुरक्षा बनाए रखेगी । उस उत्पादन केंद्र या उसके यूनिट नैय-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत से भिन्न, जिनका टैरिफ आयोग द्वारा अवधारित किया जाता है, से इंफर्म ऊर्जा केंद्रीय विद्युत गैर-पारम्परिक आर्योग (टैरिफ के निबंधन तथा शते) विनियम, 2009 द्वारा शासित होगी । इस परीक्षण के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादन केंद्रों से ग्रिड में आद्र में आयोग स्वां रा अवधारित होगी । इस परीक्षण के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादन केंद्रों से ग्रिड में आद्र में आर्यो दिनियम, 2009 द्वारा शासित होगी । इस परीक्षण के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादन केंद्रों से ग्रिड में आद्र में आर्यो दिनियम कार्योग (टैरिफ के निबंधन तथा शते) विनियम, 2009 द्वारा शासित होगी । इस परीक्षण के परिणामस्वरूप अन्य उत्पादन केंद्रों से ग्रिड में आज केंप्रित जर्जा भी यू आई दर पर प्रभारित होगी ।

(8) आवेदक से केंद्रीय परिषण उपयोगिता द्वारा ग्रिड की संयोजकता को समर्थ बनाने के लिए संयोजन के स्थान पर एक समर्पित लाइन संनिर्भित करने की अपेक्षा की जा सकेगी :

परंतु यह कि 500 मेगावाट या उससे उमर के थर्मल उत्पादन केंद्र तथा 250 मेगावाट और उससे उपर के हाइड्रो उत्पादन केंद्र, कैप्टिव उत्पादन संयंत्र से भिन्न, से संयोजन खल पर समर्पित लाइन संनिर्मित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी तथा ऐसे केंद्रों को केंद्रीय पारेषण उपयोगिता तथा केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समन्वित पारेषण योजना के लिए गणना में नहीं किया जाएगा ।

त्राम प्रतिहासिक स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं के सिंह के अध्याय 4 अगर ते स्वयंत्र के स्वयं की स्वयंत्र विद्यं के सिंह के अध्याय 4 अगर तहन स्वयं स्वयंत्र विद्यं कालिक तथा मध्य-कालिक निर्बाध महुंच की की सिंह की सिंह के स्वयंत्र की सिंह के स्वयं

9. दीर्ध-कालिक तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए मानदंड (1) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान करने से पूर्व, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाई गई योजना के अधीन प्रस्तावित अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के संवर्धन के बारे में सम्यक् घ्यान रखेगी ।

(2) मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तब प्रदान की जाएगी यदि प्रलक्षित ऊर्जा प्रवाह को निष्पादन के अधीन विद्यमान परिषण प्रणाली या परिषण प्रणाली में आवासित किया जा सकता हो :

परंतु यह कि सध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के एकमान्न प्रयोजन के लिए पारेषण प्रणाली का कोई संवर्धन नहीं किया जाएगा । परंतु यह और कि समर्पित पारेषण लाइन के संनिर्माण को इस विनियम के प्रयोजन के लिए पारेषण प्रणाली के संवर्धन

के रूप में नहीं सनझा जाएगा ।

inte ave stipsty in anothe

10: सापेक्ष अग्रता (1) दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य कालिक पहुंच के लिए आयेदन पर पहुंच के प्रत्येक पूर्वीक्त प्रकारों के लिए पृथकतः पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर कार्यवाही की जाएगी :

परंतु यह कि मास के दौरान प्राप्त आवेदनों को साथ-साथ आये आवेदन समझा जाएगा : परंतु यह और कि मास के दौरान प्राप्त् मध्य-कालिक निर्बाध पईंच के लिए आवेदनों पर कार्यवाही करते समय, दीर्ध-कालिक पहुंच चाहने वाले आवेदन को उच्च अग्रता की जाएगी :

परंतु यह भी कि पारेषण प्रणाली का संवर्धन, नए या संवर्धित पारेषण प्रणाली की योजना की अपेक्षा वाले दीर्ध-कालिक पहुंच के लिए आवेदनों की दशा में: यथास्थिति, ऐसा संवर्धन या योजना पर अधिनियम की घारा 73 के अधीन केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विकसित परिप्रेक्ष्य पारेषण योजना के अनुसार, समन्वित पारेषण योजना की मांग पैदा करने की दृष्टि से, प्रत्येक वर्ष में 30 जून तथा 31 दिसम्बर को, विचार किया जाएगा :

परंतु यह भी कि यदि अंतःराज्यिक इकाई दीर्ध-कालिक निर्बाध पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन करती है तो अग्रिम में राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति ली जाएगी तथा उसे नोडल अभिकरण को आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केंद्र की सहमति ऐसे प्ररूप में होगी जो विस्तृत प्रक्रिया में उपबंधित किया जाए ।

(2) यदि ऊर्जा मीटरिंग तथा ब्लॉक-वार लेखांकन के लिए अपेक्षित अवसंरचना पहले से ही विद्यमान है, तथा राज्य नेटवर्क में अपेक्षित पारेषण क्षमता उपलब्ध है तो राज्यभार प्रेषण केंद्र उपरोक्त विनियम 7 में उल्लिखित समय-सीमा के अनुसार अपनी सहमति प्रदान करेगा ।

(3) यदि राज्य भार प्रेषण केन्द्र सहमति न देने का विनिश्चय करता है तो उसकी सूचना लिखित में उपरोक्त अनुबद्ध अवधि के मीतर इंकार करने के कारण देते हुए, आवेदक को दी जाएगी ।

11. इंटरफेस मीटर

(1) इंटरफेस मीटर निम्नलिखित द्वारा संस्थापित किए जाएंगे, --

(क) प्रादेशिक इकाइयों के लिए तथा उनकी लागत पर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा; और

(ख) राज्य इकाइयों के लिए तथा उनकी लागत पर राज्य पारेषण उपयोगिता द्वारा ।

(2) प्रादेशिक इकाइयों के लिए इंटरफेस मीटर केंद्रीय पारेषण उपयोगिता तथा प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

(3) अंतः-राज्यिक इकाइयों के लिए इंटरफेस मीटर राज्य पारेषण उपयोगिता या राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे ।

अध्याय 5

दीर्घ-कालिक पहुंच

12. दीर्ध-कालिक पहुंच के लिए आवेदन

(1) दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान के लिए आवेदन में उस इकाई या इकाईयों के नाम के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जिन्हें विद्युत का प्रदाय किए जाने का प्रस्ताव है या जिनकी विद्युत को ऊर्जा की मात्रा के साथ उपाप्त किए जाने का प्रस्ताव हैः तथा ऐसे अन्य ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे जैसा विस्तृत प्रक्रिया में केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा अघिकथित किया जाए :

परंतु यह कि यदि जहां निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए पारेषण प्रणाली का संबर्धन अपेक्षित है, यदि उस व्यक्ति के संबंध में, जिसके लिए विद्युत का प्रदाय किया जाना है या स्रोत जिससे विद्युत उपाप्त की जानी है, ऊर्जा की मात्रा को फर्म-अप नहीं किया गया है, आवेदक उस क्षेत्र (क्षेत्रों) के नाम क़े साथ ऊर्जा की मात्रा उपदर्शित करेंगा जिसमें उस विद्युत का अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अंतर-विनिमय का प्रस्ताव किया जाना है :

परंतु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है तो आवेदक को इन विनियम के अनुसार उसके लिए पारेषण प्रभारों का वहन करना होगा भले ही प्रदाय के स्रोत या आफ-टेक की पहचान न की गई हो :

परंतु यह भी कि, यथास्थिति, प्रदाय का सही स्रोत या आफ-टेक को फर्म-अप करना होगा तथा तद्नुसार, दीर्ध-कालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त करने की आशयित तारीख के कम से कम 3 वर्ष पूर्व या ऐसे संवर्धन को सुकर बनाने के लिए पारेषण प्रणाली के संवर्धन के लिए केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्राक्कलित ऐसी समय अवधि; जो भी कम हो, के भीतर नोडल अभिकरण द्वारा अधिसुचित करना होगा :

परंतु यह भी कि यदि जहां आवेदक के अवस्थान में कोई सारवान् परिवर्तन हुआ हो या अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अंतर-विनिमय की जाने वाली ऊर्जा की मात्रा में 100 मेगावाट से अधिक तक परिवर्तन किया जाता है या उसे क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है जिसमें विद्युत उपाप्त या प्रदाय की जाती है, वहां नया आवेदन किया जाएगा, जिस पर इन विनियमों के अनुसार विचार किया जाएगा।

(2) आवेदक नोडल अभिकरण द्वारा मांगी गई किसी अन्य जानकारी को भी प्रस्तुत करेगा जिसमें अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अंतर विनिमय की जाने वाली ऊर्जा तथा समुचित रीति से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली की योजना के लिए नोडल अभिकरण को समर्थ बनाने के लिए विभिन्न इकाईयों या प्रदेशों को या उनसे पारेषित की जाने वाली ऊर्जा का निर्धारण भी सम्मिलित हैं।

(3) आवेदन के साथ पारेषित की जाने वाली कुल ऊर्जा का प्रति मेगावाट 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) की बैंक गारंटी संलग्न की जाएगी । बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के अधीन अधिकथित रीति में नोडल अभिकरण के पक्ष में होगी।

(4) प्रति मेगावाट 10,000/- रुपए (दस हजार रुपए) की बैंक गारंटी दीर्ध-कालिक पहुंच करार के निष्पादन तक, यदि जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है तथा दीर्ध-कालिक पहुंच के प्रचालन तक, जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित न हो, विधिमान्य तथा विद्यमान रखी जाएगी ।

(5) बैंक गारंटी को नोडल अभिकरण द्वारा भुनाया जा सकेगा यदि आवेदन को आवेदक द्वारा वापस लिया जाता है या दीर्ध-कालिक पहुंच अधिकारों का ऐसे अधिकारों के प्रचालन से पूर्व त्याग किया जाता है जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित नहीं है ।

(6) पूर्वोक्त बैंक गारंटी विस्तृत प्रक्रिया के उपबंधों के अनुसार उस संनिर्माण प्रक्रम, जब पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है, के दौरान आवेदक द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को दी जाने वाली अपेक्षित बैंक गारंटी के प्रस्तुतीकरण के साथ उन्मुक्त समझा जाएगा ।

13. नोडल अभिकरण द्वारा प्रणाली अध्ययन

(1) आवेदन की प्राप्ति पर, नोडल अभिकरण प्रयुक्त की जाने वाली अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में अंतर्वलित अन्य अभिकरणों के परामर्श तथा समन्वय से, यदि राज्य नेटवर्क का उपयोग किए जाने की संमावना है, आवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा यथासंभव शीध्र आवश्यक प्रणाली अध्ययन करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियम 7 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर दीर्ध-कालिक पहुंच देने का विनिश्चय किया जा सके ।

परंतु यह कि नोडल अभिकरण परामर्श या समन्वयन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई का सामना करता है तो वह समुचित निदेश के लिए आयोग के पास आ सकेगा ।

(2) प्रणाली अध्ययन के आधार पर, नोडल अभिकरण उस अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली को विनिर्दिष्ट करेगा जो दीर्ध-कालिक पहुंच देने के लिए अपेक्षित हो । यदि विद्यमान अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है तो उसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी ।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी पारेषण सेवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित टैरिफ के अनुसार स्थापित सशक्त समिति प्रतिस्पर्धा बोली आधारित टैरिफ के माध्यम से विकसित की जाने वाली अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के संवर्धन के लिए आवश्यक एक या अधिक तत्वों की पहचान कर सकेगी:

परंतु यह कि दीर्ध-कालिक पहुंच के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के संवर्धन के लिए आवश्यक एक या उससे अधिक तत्वों को संनिर्मित करने के लिए पहचाना गया अभिकरण आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विनियमों तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी पारेषण के लिए प्रतिस्पर्धा बोली संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्ति के लिए पात्र होगा ।

14. पारेषण प्रभारों आदि के प्राक्कलन की संसूचना

दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान करते समय, नोडल अभिकरण आवेदक को, उस तारीख जिससे दीर्ध-कालिक पहुंच प्रदान की गई है तथा अभिभावी लागत, कीमत तथा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट पारेषण प्रमारों की शेयरिंग की पद्धति के आधार पर संदेय होने वाले पारेषण प्रमारों के प्राक्कलन की संसूचना देगा ।

15. दीर्घ-कालिक पहुंच करार का निष्पादन

आवेदक यदि दीर्ध-कालिक पहुंच केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रदान की जाती है तो विस्तृत प्रक्रिया में किए गए उपबंधों के अनुसार केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ दीर्ध-कालिक पहुंच के लिए करार पर हस्ताक्षर करेगा । केंद्रीय पारेषण उपयोगिता से मिन्न अंतर-राज्यिक पारेषण अनुझप्तिधारी की दीर्ध-कालिक पहुंच प्राप्त करते समय आवेदक केंद्रीय पारेषण उपयोगिता तथा अंतर-राज्यिक पारेषण अनुझप्तिधारी के साथ त्रिपक्षीय दीर्ध-कालिक पहुंच करार पर इस्ताक्षर करेगा । दीर्ध-कालिक पहुंच करार पर इस्ताक्षर करेगा । दीर्ध-कालिक पहुंच करार पर इस्ताक्षर करेगा । दीर्ध-कालिक पहुंच करार में, दीर्ध-कालिक पहुंच के आरंभ होने की तारीख, ग्रिंड में ऊर्जा के अंतःक्षेपण के स्थान तथा ग्रिंड से निकासी का स्थान अपेक्षित समर्पित पारेषण लाइन, यदि कोई हो, के ब्यौरे अंतर्विष्ट होगे । यदि पारेषण प्रणाली का संवर्धन अपेक्षित है तो दीर्ध-कालिक पहुंच करार में आवेदक तथा पारेषण अनुझप्तिधारी की प्रसुविधाओं के संनिर्माण के लिए समय-सीमा, आवेदक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित बैंक गारंटी तथा ऐसे अन्य ब्यौरे अंतर्विष्ट होगे जो विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार हो ।

16. प्रोदशिक मार प्रेषण केंद्र तथा राज्य प्रेषण केंद्र को सूचना

दीर्धकालिक पहुंच प्रदान करने के ठीक पश्चात, नोडल अभिकरण संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्रों तथा राज्य भार प्रेषण केंद्रों को सूचित करेगा जिससे कि वे समय-समय पर केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन प्राप्त अनुरोध पर कार्यवाही करते समय, उस पर विचार कर सकें।

दीर्ध-कालिक पहुंच के लिए अवधि का नवीकरण 17

दीर्धकालिक पहुंच की अवधि की समाप्ति पर, दीर्ध-कालिक पहुंच दीर्ध-कालिक ग्राहक द्वारा इस संबंध में केंद्रीय पारेषण जपयोगिता को बढ़ाने के लिए अपेक्षित अवधि का उल्लेख करते हुए दिए गए लिखित अनुरोध पर बढ़ाई गई समझी जाएगी: परंतु यह कि ऐसा लिखित अनुरोध दीर्ध-कालिक पहुंच की समाप्ति की तारीख से कम से कम छह मास पूर्व दीर्ध-कालिक ग्राहक द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को प्रस्तुत किया जाएगाः

परंतु यह कि यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर दीर्घ-कालिक ग्राहक से लिखित अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो जक्त दीर्ध-कालिक पहुंच वापस ली गई समझी जाएगी I

18. पहुंच अधिकारों का व्यजन

(1) दीर्ध-कालिक ग्राहक निम्नानुसार उत्कूलित क्षमता के लिए प्रतिकर का संदाय करके, दीर्ध-कालिक पहुंच की पूर्ण अवधि की समाप्ति से पूर्व, दीर्ध-कालिक पहुंच अधिकारों को पूर्णतः या भागतः परित्याग कर सकेगाः दीर्ध-कालिक ग्राहक जिसने कम से कम 12 वर्षों के लिए पहुंच अधिकार प्राप्त कर लिए हैं।

(अ)

एक (1) वर्ष की सूचना - यदि ऐसा ग्राहक उस तारीख से, जिससे ऐसा ग्राहक पहुंच अधिकारों का परित्याग करने की वांछा करता है, कम से कम एक वर्ष पूर्व केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को आवेदन प्रस्तुत करता है तो कोई प्रभार संदेय नहीं होगा ।

एक (1) वर्ष से कम की सूचना - यदि ऐसा ग्राहक, उस तारीख से, जिससे ऐसा ग्राहक पहुंच अधिकारों के परित्याग की बांछा करता है, कम से कम एक (1) वर्ष से कम की अवधि में केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसा ग्राहक एक (1) वर्ष की अल्पकालिक सूचना के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए मानक पारेषण क्षमता के लिए प्राक्कलित पारेषण प्रभारों (कुल वर्तमान मूल्य) के 66% के वराबर रकम का संदाय करेगा ।

दीर्ध-कालिक ग्राहक जिसने कम से कम 12 (बारह) वर्ष के लिए पहुंच अधिकारों को प्राप्त नहीं किया है -ऐसा ग्राहक पहुंच अधिकारों के 12 (बारह) वर्ष की अल्पकालिक अवधि के लिए मानक पारेषण प्रभारों हेतु प्राक्कलित परिषण प्रभारों (कुल वर्तमान.मूल्य) के 66% के बराबर रकम का संदाय करेगा :

परंतु ऐसा ग्राहक उस तारीख, जिससे ऐसा ग्राहक पहुंच अधिकारों को परित्याग करने की वांछा करता है, से कम से कम एक (1) वर्ष पूर्व केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को आवेदन प्रस्तुत करेगा :

परंतु यह और कि यदि ग्राहक एक (1) वर्ष से कम की सूचना अवधि पर किसी भी समय दीर्थ-कालिक पहुंच अधिकारों के परित्याग के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसा ग्राहक पहुंच अधिकारों के 12 (बारह) वर्ष के अंतर्गत आने वाली अल्प अवधि के लिए उत्कृलित पारेषण क्षमता के लिए प्राक्कलित 66% पारेषण क्षमता प्रभारों के अतिरिक्त, एक वर्ष की सूचना अवधि को अल्पकालिक अवधि के लिए प्राक्कलित पारेषण प्रभारों के 66% के बराबर रकम का संदाय करेगा ।

छूट दर, जो उपरोक्त खंड (1) के उप-खंड (अ) तथा (आ) में यथानिर्दिष्ट कुल वर्तमान मूल्य की संगणना के लिए लागू होगी, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी विवरण अनुझप्तिधारियों द्वारा ऊर्जा की उपाप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टेरिफ के अवधारण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार समय-समय पर जारी आयोग की अधिसूचना में बोली मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली छूट दर होगी ।

उत्कूलित पारेषण क्षमता के लिए दीर्ध-कालिक ग्राहक द्वारा संदत्त प्रतिकर का उपयोग उस वर्ष में अन्य दीर्ध-कालिक ग्राहकों और मध्य-कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय परिषण प्रमारों को कम करने के लिए किया जाएगा जिस वर्ष में ऐसे प्रतिकर का संदाय उस वर्ष के लिए ऐसे दीर्ध-कालिक ग्राहकों तथा मध्य-कालिक ग्राहकों द्वारा संदेय पारेषण प्रभारों के अन्पात में शोध्य है ।

अच्याय-6

मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच

19. मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन

(1) मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जो विस्तृत प्रक्रिया में अधिकथित किया जाए तथा विशिष्टतया, जिसमें ग्रिड में इंजेक्शन का स्थान तथा ग्रिड से निकासी का स्थान तथा ऊर्जों की ऐसी मात्रा सम्मिलित होगी जिसके लिए मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदन किया गया है ।

(2) मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की आरंभिक तारीख, 5 मास से पहले तथा उस मास के अंतिम दिन से 1 वर्ष से अन्यून होगी जिसमें आवेदन किया गया है ।

20. नोडल अभिकरण द्वारा प्रणाली अध्ययन

आवेदन की प्राप्ति पर, नोडल अभिकरण प्रयुक्त की जाने वाली अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली में अंतर्वलित अन्य अभिकरणों के परामर्श तथा समन्वय से, यदि राज्य नेटवर्क का उपयोग किए जाने की संभावना है, आवेदन पर कार्यवाही करेगा तथा यधासंभव भी आवश्यक प्रणाली अध्ययन करेगा जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनियम 7 में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच देने का या इंकार करने का विनिश्चय किया गया है:

परंतु यह कि नोडल अभिकरण परामर्श या समन्वयन की प्रक्रिया में कोई कठिनाई का सामना करता है तो वह समुचित निदेश के लिए आयोग के पास आ सकेगा ।

21. मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच का दिया जाना

(1) यह समाधान हो जाने पर कि विनियम 9 के खंड (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया पूरी कर ली गई है तो नोडल अभिकरण आवेदन में कथित अवधि के लिए मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगाः

परंतु यह कि लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, नोडल अभिकरण आवेदक द्वारा उससे कम अवधि के लिए मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करेगा जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है:

परंतु यह और कि यदि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की जाती है, आवेदक विस्तृत प्रक्रिया में किए गए उपबंधों के अनुसार केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के साथ मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए करार पर हस्ताक्षर करेगा । केंद्रीय पारेषण उपयोगिता से भिन्न, अंतर-राज्यिक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को मध्य-कालिक अनुज्ञप्तिचारी के साथ त्रिपक्षीय मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच करार पर हस्ताक्षर करेगा । मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच करार में मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच आरंम होने तथा समाप्त होने की तारीख, ग्रिड में ऊर्जा के अंतःक्षेपण का स्थान तथा ग्रिड से निकासी का स्थान, अपेक्षित समर्पित पारेषण लाइनों के ब्यौरे, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा दी जाने वाली अपेक्षित बैंक गारंटी तथा विस्तुत प्रक्रिया के अनुसार अन्य ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे ।

(2) मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के ठीक पश्चात्, नोडल अभिकरण संबंधित राज्य भार प्रेषण केंद्रों तथा राज्य भार प्रेषण केंद्रों को सूचित करेगा जिससे कि वे समय-समय पर यधासंशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अधीन प्राप्त अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अनुरोधों पर कार्यवाही करते समय विचार कर सकें ।

22. समर्पित पारेषण लाइन का निष्पादन

मध्य-कालिक ग्राहक, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की तारीख आरंभ होने से पूर्व अपने स्वयं के जोखिम तथा लागत पर समर्पित पारेषण लाइन के निष्पादन के लिए व्यवस्था कर सकेगा ।

23. अध्यारोही अधिमान का न होना

मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की अवधि की समाप्ति पर, मध्य-कालिक ग्राहक अवधि के नवीकरण के लिए किसी अध्यारोही अधिमानता के लिए हकदार नहीं होगा ।

24. मध्य-कालिक ग्राहकों के लिए विद्यमान विकल्प

मध्य-कालिक ग्राहक नोडल अभिकरण को कम से कम 30 दिन की पूर्व सूचना देते हुए अपने अधिकारों का पूर्णतः या भागतः त्याग नहीं कर सकेगाः

परंतु यह कि अपने अधिकारों का त्याग करने वाला मध्य-कालिक ग्राहक त्याग करने की अवधि या 30 दिन के लिए, जो भी कम हो, लागू पारेषण प्रभारों का संदाय करेगा ।

अध्याय-७

दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच की शर्तें

25. कटौती

(1) जब पारेषण अवरोधों के कारण या ग्रिड सुरक्षा के हित में पारेषण कारीडोर पर ऊर्जा प्रवाह में कटीती करना आवश्यक हो, तब पहले से ही अनुसूचित संव्यवहारों में प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र द्वारा कटौती की जा सकेगी ।

[PART III-SEC. 4]

(2) आयौग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड कोड और किसी अन्य विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सबसे पहले अल्पकालिक ग्राहक में उसके बाद मध्य-कालिक ग्राहक में कटौती की जाएगी उसके पश्चात् दीर्धकालिक ग्राहकों में कटौती की जाएगी तथा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के ग्राहकों में कटौती आनुपातिक आधार पर की जाएगी ।

26. पारेषण प्रभार

अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए पारेषण प्रभारों की वसूली आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट टैरिफ के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार दीर्ध-कालिक ग्राहकों तथा मध्य-कालिक ग्राहकों से की जाएगी:

परंतु यह कि यदि राज्य नेटवर्क का उपयोग मध्यवर्ती राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमा तथा उस राज्य के प्रवहण, जो विद्युत के ऐसे अंतर-राज्यिक पारेषण में आनुषंगिक है, में विद्युत के प्रवहण के लिए अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के भाग रूप पहुंच में भी किया जा रहा है तो यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे प्रमारों तथा निबंधनों तथा शर्तों को आपस में तय नहीं किया जाता है, मध्यवर्ती पारेषण सुविधाओं के लिए ऐसे राज्य नेटवर्क के लिए प्रभारों की वसूली तथा उसके निबंधन तथा शर्ते विनियम के अनुसार होंगी जो अधिनियम की धारा 36 के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु यह कि उपरोक्त यथा विनिर्दिष्ट ऐसे राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रमारों पर किसी भी प्रकार की असहमति को, पहुंच प्रदान न करने के लिए एकमात्र कारण न माना जाएगा तथा पक्षकार ऐसे राज्य नेटवर्क के लिए पारेषण प्रभारों के अवधारण के लिए आयोग के पास आ सकेंगे ।

27. विस्तुत प्रक्रिया

(1) इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर अनुमोदन के लिए आयोग को एक विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करेगी:

परंतु यह कि अनुमोदन के लिए आयोग को विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करने से पूर्व केंद्रीय पारेषण उपयोगिता उसे जनता को उपलब्ध कराएगी तथा अपनी वेबसाइट पर प्रारूप विस्तृत प्रक्रिया को डालकर टीका-टिप्पणियां आमंत्रित करेगी तथा टीका-टिप्पणियां मंगाने के लिए एक मास की अवधि का समय देगी:

परंतु यह और कि आयोग को विस्तृत प्रक्रिया प्रस्तुत करते समय, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता एक ऐसा विवरण प्रस्तुत करेगी जिसमें पणधारियों की टीका-टिप्पणियां उनके कारणों सहित उसके द्वारा स्वीकार नहीं करने के कारण होंगे ।

(2) केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया में विशिष्टतया, निम्नलिखित सम्मिलित होगा, ---

(क) उपरोक्त विनियम 8 के खंड (5) में निर्दिष्ट, संयोजन करार के लिए प्रोफार्मा ।

(ख) उपरोक्त विनियम 15 में निर्दिष्ट दीर्घ-कालिक करार के लिए प्रोफार्मा ।

परंतु यह कि अधिनियम की धारा 63 के अनुसार पारेषण के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली के लिए मानक बोली दस्तावेज के भाग रूप केंद्रीय सरकार द्वारा जारी पारेषण सेवा करार आवश्यक परिवर्तनों सहित इस करार का भाग होगाः

परंतु यह और कि यदि पारेषण प्रणाली का संवर्धन अधिनियम की धारा 63 के अनुसार प्रतिस्पर्धा बोली की प्रक्रिया के माध्यम से आरंभ किया जाता है तो बोली दस्तावेजों के भाग रूप संलग्न पारेषण सेवा करार का उपयोग दीर्धकालिक पहुंच के लिए आवेदक तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता के बीच किए जाने वाले प्रोफार्मा करार के भाग रूप किया जाएगा ।

(ग) यथास्थिति, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता/पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पारेषण तत्वों के संनिर्माण/उपांतरण के फेजिंग तथा, यथास्थिति, उत्पादन सुविधाओं या थोक उपभोक्ता की आने वाली प्रसुविधाओं के लिए समय-सीमा ताकि दोनों के पूरा करने के समय को मिलाया जा सके

परंतु यह कि परिषण तत्वों के संनिर्माण के लिए समय-अवधि केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन तथा शर्ते) विनियम, 2009 के उपाबंध 2 में यथा सम्मिलित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय-सीमा के संगत होगी।

(घ) संनिर्माण तथा प्रचालन अवधि के दौरान संदाय प्रतिमूति तंत्र तथा बैंक गारंटी जैसे पहलू:

परंतु यह कि संनिर्माण प्रक्रम के दौरान बैंक गारंटी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के माध्यम से उस आवेदक द्वारा पारेषित की जाने वाली कुल ऊर्जा के 5 लाख रूपए प्रति मेगावाट से अधिक नहीं होगी ।

(ड.) उपरोक्त विनियम 21 के खंड (1) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट मध्य-कालिक पहुंच के लिए प्रोफार्मा ।

(च) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी या केंद्रीय पारेषण उपयोगिता द्वारा यथास्थिति, दीर्धकालिक ग्राहकों या मध्य-कालिक ग्राहकों से अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों के संग्रहण जब कभी उसके विनियम 29 के खंड (1) के प्रथम परंतुक के अनुसार इस प्रकार पदाभिहित किया जाए तथा, यथास्थिति, केंद्रीय पारेषण उपयोगिता और/या पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों को संवितरण के लिए उपबंध ।

28. प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभार

(1) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभार, जिसमें एकीकृत भार प्रेषण तथा संसूचना स्कीम के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं, दीर्ध-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक द्वारा ऐसे संदेय होंगे जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(2) राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभार यथा लागू संदेय होंगे ।

29. प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र के लिए पारेषण प्रभारों का संवाय तथा फीस तथा प्रभार

(1) दीध-कालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक की बाबत पारेषण प्रभारों का संदाय प्रत्यक्षतः पारेषण अनुझप्तिधारी को किया जाएगाः

परंतु यह कि अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण प्रभारों के संग्रहण तथा संवितरण के प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को एक अभिकरण के रूप में पदाभिहित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जब केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को यथापूर्वीक्त अभिकरण के रूप में पदाभिहित किया जाता है तब उसे पारेषण प्रभार संदत्त किए जाएंगेः

परंतु यह भी कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता पारेषण प्रभारों के संग्रहण के लिए दीर्धकालिक ग्राहकों तथा मध्य-कालिक ग्राहकों के साथ तथा पारेषण अनुज्ञप्तिचारियों तथा केंद्रीय पारेषण उपयोगिता को संदेय पारेषण प्रभारों को आनुपातिक यथा प्राप्त पारेषण प्रमारों के संवितरण के लिए पारेषण/अनुज्ञप्तिधारियों के साथ, जहां उनकी अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, करार करेगी:

परंतु यह कि केंद्रीय पारेषण उपयोगिता आयोग द्वारा यथा अनुमोदित अन्य पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों के पारेषण-प्रभारों का संग्रहण करने में उसके द्वारा उपगत युक्तियुक्त लागत की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होगी ।

(2) प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र (जिसमें एकीकृत भार प्रेषण स्कीम के लिए प्रभार भी सम्मिलित हैं) तथा राज्य भार प्रेषण केंद्र के लिए फीस तथा प्रभारों का संदाय दीर्धकालिक ग्राहक तथा मध्य-कालिक ग्राहक द्वारा प्रत्यक्षतः संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र या राज्य प्रेषण केंद्र को किया जाएगा ।

30. अननुसुचित अंतर-विनिमय (यू आई प्रमार)

(1) दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक पहुंच प्रदान करने के अनुसरण में, सभी संव्यवहारों का अनुसूचीकरण ग्रिड कोड के अनुसार आगे के दिन के आधार पर किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के परिसर पर मीटरिंग के आधार पर साप्ताहिक साकइल पर प्रत्येक प्रादेशिक इकाई के लिए अननुसूचित अंतर-विनिमय हेतु संमिश्रित खाता जारी किया जाएगा :

परंतु यह भी कि अंतर-राज्यिक इकाईयों के लिए अननुसूचित अंतर-विनिमय लेखांकन प्रादेशिक स्तर पर नहीं किया जाएगा ।

(3) अंतः-राज्यिक इकाइयों से या के लिए अननुसूचित अंतर-विनिमय प्रमारों के संग्रहण या संवितरण के प्रयोजन के लिए पदाभिहित राज्य उपयोगिता प्रादेशिक अननुसूचित अंतर-विनिमय पूल खाते के लिए राज्यों के संमिश्रित शोध्यों का समय पर संदाय करने के लिए उत्तरदायी होगी ।

(4) अनुसूचित तथा निकासी स्थलों पर वास्तविक निकासी तथा अंतःराज्यिक इकाइयों के लिए अंतःक्षेपण स्थल पर वास्तविक अंतःक्षेपण के बीच किसी भी अंतर को संबंधित राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा अंतःराज्यिक अननुसूचित अंतर-विनिमय लेखांकन स्कीम में सम्मिलित किया जाएगा ।

(5) जब तक संबंधित राज्य आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, अंतःराज्यिक इकाई के लिए अननुसूचित अंतर विनिमय दर 105% (अधिक निकासी या कम उत्पादन के लिए) तथा प्रादेशिक इकाई के परिक्षेत्र पर अननुसूचित अंतर विनिमय दर 95% (कम निकासी या अधिक उत्पादन के लिए) होगी ।

31. पारेषण हानियां

विद्युत के क्रेता पारेषण प्रणाली में ऐसी आनुपातिक हानियों का वहन करेंगे जैसा प्रादेशिक ऊर्जा समिति द्वारा प्राक्कलित किया जाए ।

32. प्रतितोष तंत्र

इन विनियमों से या इनके अंतर्गत उद्भूत किसी भी विवाद का विनिश्चय व्यथित व्यक्ति द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा ।

अध्याय 8

सूवना प्रणाली

33. सूचना प्रणाली

नोडल अभिकरण अपनी वेबसाइट पर "दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच जानकारी" शीर्ष वाले पृथक् देब पृष्ठ पर निम्नलिखित जानकारी डालेंगे :---

(क) ये विनियम;

(ख) विस्तृत प्रक्रिया;

(ग) आवश्यक ब्योरों सहित नोडल अभिकरण द्वारा प्राप्त दीर्ध-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक पहुंच के लिए पृथक् आवेदनों की सूची;

(घ) प्रदत्त दीर्धकालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए पृथक् सूची जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा :--

(i) ग्राहक का नाम;

(ii) अनुदत्त पहुंच की अवधि (प्रारंभिक तारीख तथा अंतिम तारीख);

(iii) अंतःक्षेपण बिंदुः

(iv) प्राप्त करने का ख्यान;

(v) प्रयुक्त पारेषण प्रणाली (प्रदेशों तथा राज्यों के अनुसार);

(vi) वह क्षमता, जिसके लिए पहुंच प्रदत्त की गई है।

(ड.) उन आवेदनों की सूची जहां, यथास्थिति, संयोजकता या दीर्धकालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए अनुमोदन उसके कारणों के साथ प्रदत्त नहीं किया गया है:

परंतु यह कि नोडल अभिकरण का लगातार यह प्रयास होगा कि वह सूचना के विभिन्न साधनों, जिसमें इंटरनेट भी है, के माध्यम से नियमित अंतरालों पर जनता को स्वप्रेरणा से अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए इसकी अपेक्षाओं के अनुसार कदम उठाए जिससे कि सूचना का व्यापक रूप तथा ऐसे प्रकार तथा ऐसी रीति, जो जनता तक आसानी से पहुंच योग्य हो, से प्रचार किया जा सके ।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

34. निरसन तथा व्यावृत्ति

(1) इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2004 में अतर्विष्ट विनियम सं 4(1)(क), 4(ii), 5(i), 6(i), 7, 8(i), 9, 10, 11, 12, 16(i) 18 (जहां तक वे दीर्ध-कालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक को लागू होते हैं) निरसित समझे जाएंगे।

(2) खंड (i) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम 2004 के अनुसार प्रदत्त दीर्ध-कालिक पहुंच, दीर्ध-कालिक पहुंच की समाप्ति तक निरंतर विधिमान्य रहेगी ।

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असाधा./150/09]

भारत का राजपत्र : असाधारण

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2009

No. L-1/(3)/2009-CERC.—In exercise of powers conferred by section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, namely –

CHAPTER 1

PRELIMINARY

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Longterm Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009.

(2) These regulations shall come into force on such date as the Commission may notify:

Provided that the date for the coming into force of these regulations shall be after the 'detailed procedure' of the Central Transmission Utility has been approved by the Commission.

2. Definitions

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires:
 - (a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);
 - (b) "Applicant" means
 - a Generating station of installed capacity 250 MW and above, including a captive generating plant of exportable capacity of 250 MW and above or a bulk consumer in respect of grant of connectivity and
 - a generating station including a captive generating plant, a consumer, an Electricity Trader or a distribution licensee, in respect of long-term access or medium-term open access, as the case may be;
 - (c) "Bulk consumer" means in respect of connectivity, any consumer who intends to avail supply of a minimum load of 100 MW from the Inter-State Transmission System;
 - (d) "Commission" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of section 76 of the Act;
 - (e) "Connectivity" for a generating station, including a captive generating plant, a bulk consumer or an inter-State transmission licensee means the state of getting connected to the inter-State transmission system;
 - (f) "consumer" means any consumer eligible to avail open access as specified by the State Commission under sub-section (2) of section 42 of the Act;
 - (g) "day" means the day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
 - (h) "detailed procedure" means the procedure issued by the Central Transmission Utility as referred to in regulation 6 hereof;
 - (i) "Grid Code" means the Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of section 79 of the Act;
 - (i) "intra-State entity" means a person whose metering and energy accounting are done by the State Load Despatch Centre or by any other authorized State utility;
 - (k) 'interface meters' means interface meters installed in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006, specified by the Central Electricity Authority and amended from time to time;
 - "long-term access" means the right to use the inter-State transmission system for a period exceeding 12 years but not exceeding 25 years;
 - (m) "long-term customer" means a person who has been granted long-term access and includes a person who has been allocated central sector generation that is electricity supply from a generating station owned or controlled by the Central Government;

| 14 | an a | THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY | [PART IIISEC. 4] |
|--|--|--|------------------|
| | | "medium-term open access" means the right to use the inter-State transmiss exceeding 3 months but not exceeding 3 years; | |
| 이 가장을 알 것을 가지 같은 것이 같이 했다. | (0) | "medium-term customer" means a person who has been granted medium-te | rm open access, |
| | (p) (a) | "month" means a calendar month as per the British calendar; "nodal agency" means the Central Transmission Utility referred to in regula | ation 4 hereof ; |

(r) "regional entity" means a person whose metering and energy accounting are done at the regional level;

[PART III-SEC. 4]

- (s) "short-term open access" has the meaning ascribed thereto in the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008;
- "State Commission" means the State Electricity Regulatory Commission constituted under section 82 of the Act and includes the Joint Commission constituted under section 83 thereof; (t)
- (u) "State network" means the intra-State transmission system owned by the State Transmission Utility, transmission licensee or the network of any other person who has been granted licence by the State Commission to establish or operate distribution lines within the State;
- (v) 'Stranded transmission capacity' means the transmission capacity in the inter-State transmission system which is likely to remain unutilized due to relinquishment of access rights by a long-term customer in accordance with regulation 16.

(2) Words and expressions used in these regulations and not defined herein but defined in the Act or the Grid Code or any other regulations specified by the Commission shall, unless the context otherwise requires, have the meanings assigned to them under the Act or the Grid Code or other regulations specified by the Commission, as the case may be.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS

3. Scope

These regulations, after they come into force, shall apply to the grant of connectivity, long-term access and medium-term open access, in respect of inter-State transmission system:

Provided that a generating station, including captive generating plant or a bulk consumer, seeking connectivity to the inter-State transmission system cannot apply for long-term access or medium-term open access without applying for connectivity:

Provided further that a person may apply for connectivity and long-term access or medium-term open access simultaneously.

4. Nodal Agency

The nodal agency for grant of connectivity, long-term access and medium-term open access to the inter-State transmission system shall be the Central Transmission Utility.

5. Filing of Application

Applications for grant of connectivity or long-term access or medium-term open access shall be made to the nodal

agency: Provided that an application for connectivity is not required to be made by any transmission licensee, since transmission system planning is carried out in a coordinated manner by the Central Transmission Utility and the Central Electricity Authority :

Provided, however, that an inter-State transmission licensee other than Central Transmission Utility, nevertheless, shall sign a connection agreement with the Central Transmission Utility, as provided for in Clause (5) of regulation 8 of these Regulations.

6. Application fee

The application referred to in regulation 5 shall be accompanied by a non-refundable application fee specified hereunder, payable in the name and in the manner to be laid down by the Central Transmission Utility in the detailed procedure:-

| S.No | Quantum of Power to be injected/offtaken | taken Application fee (Rs. in lakh) | | | |
|------|--|-------------------------------------|------------------|----------------------------|--|
| | into/from ISTS | For Connectivity | Long-term access | Medium-term open access | |
| 1. | Up to 100 MW | 2 | 2 | | |
| 1 | More than 100 MW and up to 500 MW | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | More than 500 MW and up to 1000 MW | 6 | 6 | 3 | |
| | More than 1000 MW | 9 | 9 | 4 | |

7. Timeframe for processing of application

The application shall be processed by the nodal agency within the time limits specified hereunder:-

| Nature of Application | Time limit for processing beginning the last day of the month in which application was received by the nodal agency | |
|-------------------------|---|--|
| Connectivity | 60 days | |
| Long-term access | 120 days where augmentation of transmission system is not required | |
| | 180 days, where augmentation of transmission system is required | |
| Medium-term open access | 40 days | |

CHAPTER 3 CONNECTIVITY

8. Grant of Connectivity

ť.

(1) The application for connectivity shall contain details such as, proposed geographical location of the applicant, quantum of power to be interchanged that is the quantum of power to be injected in the case of a generating station including a captive generating plant and quantum of power to be drawn in the case of a bulk consumer, with the inter-State transmission system and such other details as may be laid down by the Central Transmission Utility in the detailed procedure:

Provided that in cases where once an application has been filed and thereafter there has been any material change in the location of the applicant or change, by more than 100 MW in the quantum of power to be interchanged with the inter-State transmission system, the applicant shall make a fresh application, which shall be considered in accordance with these regulations.

(2) On receipt of the application, the nodal agency shall, in consultation and through coordination with other agencies involved in inter-State transmission system to be used, including State Transmission Utility, if the State network is likely to be used, process the application and carry out the necessary inter-connection study as specified in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007.

(3) While granting connectivity, the nodal agency shall specify the name of the sub-station or pooling station or switchyard where connectivity is to be granted. In case connectivity is to be granted by looping-in and looping-out of an existing or proposed line, the nodal agency shall specify the point of connection and name of the line at which connectivity is to be granted. The nodal agency shall indicate the broad design features of the dedicated transmission line and the timeframe for completion of the dedicated transmission line.

(4) The applicant and all Inter-State Transmission Licensees including the Central Transmission Utility shall comply with the provisions of Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007.

(5) The applicant or inter-State transmission licensee, as the case may be, shall sign a connection agreement with the Central Transmission Utility or inter-State transmission licensee owning the sub-station or pooling station or switchyard cr the transmission line as identified by the nodal agency where connectivity is being granted:

Provided that in case connectivity of a generating station, including captive generating plant or bulk consumer is granted to the inter-State transmission system of an inter-State transmission licensee other than the Central Transmission Utility, a tripartite agreement as provided in the Central Electricity Authority (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 shall be signed between the applicant, the Central Transmission Utility and such inter-State transmission licensee.

(6) The grant of connectivity shall not entitle an applicant to interchange any power with the grid unless it obtains long-term access, medium-term open access or short-term open access.

(7) A generating station, including captive generating plant which has been granted connectivity to the grid shall be allowed to undertake testing including full load testing by injecting its infirm power into the grid before being put into commercial operation, even before availing any type of open access, after obtaining permission of the concerned Regional Load Despatch Centre, which shall keep grid security in view while granting such permission. This infirm power from a generating station or a unit thereof, other than those based on non-conventional energy sources, the tariff of which is determined by the Commission, will be governed by the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009. The power injected into the grid from other generating stations as a result of this testing shall also be charged at UI rates.

(8) An applicant may be required by the Central Transmission Utility to construct a dedicated line to the point of connection to enable connectivity to the grid:

Provided that a thermal generating station of 500 MW and above and a hydro generating station of 250 MW and above, other than a captive generating plant, shall not be required to construct a dedicated line to the point of connection and such stations shall be taken into account for coordinated transmission planning by the Central Transmission Utility and Central Electricity Authority.

CHAPTER4

LONG-TERM AND MEDIUM-TERM OPEN ACCESS

9. Criteria for granting long-term access or medium-term open access

(1) Before awarding long-term access, the Central Transmission Utility shall have due regard to the augmentation of inter-State transmission system proposed under the plans made by the Central Electricity Authority.

(2) Medium-term open access shall be granted if the resultant power flow can be accommodated in the existing transmission system or the transmission system under execution:

Provided that no augmentation shall be carried out to the transmission system for the sole purpose of granting medium-term open access:

Provided further that construction of a dedicated transmission line shall not be construed as augmentation of the transmission system for the purpose of this regulation.

10. Relative priority

(1) Applications for long-term access or medium-term open access shall be processed on first-come-first-served basis separately for each of the aforesaid types of access:

Provided that applications received during a month shall be construed to have arrived concurrently;

Provided further that while processing applications for medium-term open access received during a month, the application seeking access for a longer term shall have higher priority;

Provided also that in the case of applications for long-term access requiring planning or augmentation of transmission system, such planning or augmentation, as the case may be, shall be considered on 30th of June and 31th of December in each year in order to develop a coordinated transmission plan, in accordance with the perspective transmission plans developed by the Central Electricity Authority under section 73 of the Act;

Provided also that if an intra-State entity is applying for long-term access or medium-term open access, concurrence of the State Load Despatch Centre shall be obtained in advance and submitted along with the application to the nodal agency. The concurrence of the State Load Despatch Centre shall be in such form as may be provided in the detailed procedure.

(2) Where necessary infrastructure required for energy metering and time-block-wise accounting already exists and required transmission capacity in the State network is available, the State Load Despatch Centre shall convey its concurrence to the applicant within ten working days of receipt of the application.

(3) In case SLDC decides not to give concurrence, the same shall be communicated to the applicant in writing, giving the reason for refusal within the above stipulated period.

11. Interface Meters

- (1) Interface meters shall be installed -
 - (a) by the Central Transmission Utility for and at the cost of the regional entities; and
 - (b) by the State Transmission Utility for and at the cost of the State entities.

(2) Interface meters for the regional entities shall be open for inspection by any person authorized by the Central Transmission Utility and the Regional Load Despatch Centre.

K

(3) Interface meters for the intra-State entities shall be open for inspection by any person authorized by the State Transmission Utility or the State Load Despatch Centre.

CHAPTER 5

LONG-TERM ACCESS

12. Application for long-term access

(1) The application for grant of long-term access shall contain details such as name of the entity or entities to whom electricity is proposed to be supplied or from whom electricity is proposed to be procured along with the quantum of power and such other details as may be laid down by the Central Transmission Utility in the detailed procedure:

Provided that in the case where augmentation of transmission system is required for granting open access, if the quantum of power has not been firmed up in respect of the person to whom electricity is to be supplied or the source from which electricity is to be procured, the applicant shall indicate the quantum of power along with name of the region(s) in which this electricity is proposed to be interchanged using the inter-State transmission system;

Provided further that in case augmentation of transmission system is required, the applicant shall have to bear the transmission charges for the same as per these regulations, even if the source of supply or off-take is not identified;

Provided also that the exact source of supply or destination of off-take, as the case may be, shall have to be firmed up and accordingly notified to the nodal agency at least 3 years prior to the intended date of availing long-term access, or such time period estimated by Central Transmission Utility for augmentation of the transmission system, whichever is lesser, to facilitate such augmentation :

Provided also that in cases where there is any material change in location of the applicant or change by more than 100 MW in the quantum of power to be interchanged using the inter-State transmission system or change in the region from which electricity is to be procured or to which supplied, a fresh application shall be made, which shall be considered in accordance with these regulations.

(2) The applicant shall submit any other information sought by the nodal agency including the basis for assessment of power to be interchanged using the inter-State transmission system and power to be transmitted to or from various entities or regions to enable the nodal agency to plan the inter-State transmission system in a holistic manner.

(3) The application shall be accompanied by a bank guarantee of Rs 10,000/- (ten thousand) per MW of the total power to be transmitted. The bank guarantee shall be in favour of the nodal agency, in the manner laid down under the detailed procedure.

(4) The bank guarantee of Rs. 10,000 /- (ten thousand) per MW shall be kept valid and subsisting till the execution of the long-term access agreement, in the case when augmentation of transmission system is required, and till operationalization of long-term access when augmentation of transmission system is not required.

(5) The bank guarantee may be encashed by the nodal agency, if the application is withdrawn by the applicant or the long-term access rights are relinquished prior to the operationalisation of such rights when augmentation of transmission system is not required.

(6) The aforesaid bank guarantee will stand discharged with the submission of bank guarantee required to be given by the applicant to the Central Transmission Utility during construction phase when augmentation of transmission system is required, in accordance with the provisions in the detailed procedure.

13. System Studies by the Nodal Agency

(1) On receipt of the application, the nodal agency shall, in consultation and through coordination with other agencies involved in inter-State transmission system to be used, including State Transmission Utility, if the State network is likely to be used, process the application and carry out the necessary system studies as expeditiously as possible so as to ensure that the decision to grant long-term access is arrived at within the timeframe specified in regulation 7:

Provided that in case the nodal agency faces any difficulty in the process of consultation or coordination, it may approach the Commission for appropriate directions.

(2) Based on the system studies, the nodal agency shall specify the inter-State transmission system that would be required to give long-term access. In case augmentation to the existing inter-State transmission system is required, the same will be intimated to the applicant.

(3) The Empowered Committee established in accordance with the 'Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service' issued by the Central Government, may identify one or more elements needed for augmentation of inter-State transmission system to be developed through tariff based competitive bidding :

2081 GI/09-3

1

Provided that the agency identified to construct one or more elements needed for augmentation of the inter-State transmission system for long-term access shall be eligible for grant of transmission licence in accordance with the regulations specified by the Commission from time to time and the guidelines for competitive bidding for transmission issued by the Central Government.

14. Communication of Estimate of Transmission Charges, etc.

While granting long-term access, the nodal agency shall communicate to the applicant, the date from which longterm access shall be granted and an estimate of the transmission charges likely to be payable based on the prevailing costs, prices and methodology of sharing of transmission charges specified by the Commission.

15. Execution of Long-term Access Agreement

The applicant shall sign an agreement for long-term access with the Central Transmission Utility in case long-term access is granted by the Central Transmission Utility, in accordance with the provision as may be made in the detailed procedure. While seeking long-term access to an inter-State transmission licensee, other than the Central Transmission Utility, the applicant shall sign a tripartite long-term access agreement with the Central Transmission Utility and the inter-State transmission licensee. The long-term access agreement shall contain the date of commencement of long-term access, the point of injection of power into the grid and point of drawal from the grid and the details of dedicated transmission lines, if any, required. In case augmentation of transmission system is required, the long-term access agreement shall contain the time line for construction of the facilities of the applicant and the transmission licensee, the bank guarantee required to be given by the applicant and other details in accordance with the detailed procedure.

16. Information to RLDC and SLDC

Immediately after grant of long-term access, the nodal agency shall inform the Regional Load Despatch Centres and the State Load Despatch Centres concerned so that they can consider the same while processing requests for grant of short-term open access, received under Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time.

17. Renewal of Term for Long-term access

On the expiry of the period of long-term access, the long-term access shall stand extended on a written request provided by the long-term customer in this regard to the Central Transmission Utility mentioning the period for extension that is required:

Provided that such a written request shall be submitted by the long-term customer to the Central Transmission Utility at least six months prior to the date of expiry of the long-term access;

Provided further that in case no written request is received from the long-term customer within the timeline specified above, the said long-term access shall stand withdrawn.

18. Relinquishment of access rights

(1) A long-term customer may relinquish the long-term access rights fully or partly before the expiry of the full term of long-term access, by making payment of compensation for stranded capacity as follows:—

(a) Long-term customer who has availed access rights for at least 12 years

- (i) Notice of one (1) year If such a customer submits an application to the Central Transmission Utility at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights, there shall be no charges.
- (ii) Notice of less than one (1) year If such a customer submits an application to the Central Transmission Utility at any time lesser than a period of 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights, such customer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges (net present value) for the stranded transmission capacity for the period falling short of a notice period of one (1) year.
- (b) Long-term customer who has not availed access rights for at least 12 (twelve) years such customer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges (net present value) for the stranded transmission capacity for the period falling short of 12 (twelve) years of access rights:

Provided that such a customer shall submit an application to the Central Transmission Utility at least 1 (one) year prior to the date from which such customer desires to relinquish the access rights;

Provided further that in case a customer submits an application for relinquishment of long-term access rights at any time at a notice period of less than one year, then such customer shall pay an amount equal to 66% of the estimated transmission charges (net present value) for the period falling short of a notice period of one (1) year, in addition to 66% of

6

2881 GI/09

the estimated transmission charges (net present value) for the stranded transmission capacity for the period falling short of 12 (twelve) years of access rights.

(2) The discount rate that shall be applicable for computing the net present value as referred to in sub-clause (a) and (b) of clause (1) above shall be the discount rate to be used for bid evaluation in the Commission's Notification issued from time to time in accordance with the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees issued by the Ministry of Power.

(3) The compensation paid by the long-term customer for the stranded transmission capacity shall be used for reducing transmission charges payable by other long-term customers and medium-term customers in the year in which such compensation payment is due in the ratio of transmission charges payable for that year by such long-term customers and medium-term customers.

CHAPTER 6

MEDIUM-TERM OPEN ACCESS

19. Application for Medium-term Open Access

(1) The application for grant of medium-term open access shall contain such details as may be laid down under the detailed procedure and shall, in particular, include the point of injection into the grid, point of drawal from the grid and the quantum of power for which medium-term open access has been applied for.

(2) The start date of the medium-term open access shall not be earlier than 5 months and not later than 1 year from the last day of the month in which application has been made.

20. System Studies by the Nodal Agency

On receipt of the application, the nodal agency shall, in consultation and through coordination with other agencies involved in inter-State transmission system to be used, including State Transmission Utility, if the State network is likely to be used, process the application and carry out the necessary system studies as expeditiously as possible so as to ensure that the decision to grant or refuse medium-term open access is made within the timeframe specified in regulation 7:

Provided that in case the nodal agency faces any difficulty in the process of consultation or coordination, it may approach the Commission for appropriate directions.

21. Grant of Medium-term Open Access

(1) On being satisfied that the requirements specified under clause (2) of regulation 9 are met, the nodal agency shall grant medium-term open access for the period stated in the application:

Provided that for reasons to be stated in writing, the nodal agency may grant medium-term open access for a period less than that sought for by the applicant;

Provided further that the applicant shall sign an agreement for medium-term open access with the Central Transmission Utility in case medium-term open access is granted by the Central Transmission Utility, in accordance with the provision as may be made in the detailed procedure. While seeking medium-term open access to an inter-State transmission licensee, other than the Central Transmission Utility, the applicant shall sign a tripartite medium-term open access agreement with the Central Transmission Utility and the inter-State transmission licensee. The medium-term open access agreement shall contain the date of commencement and end of medium-term open access, the point of injection of power into the grid and point of drawal from the grid, the details of dedicated transmission lines required, if any, the bank guarantee required to be given by the applicant and other details in accordance with the detailed procedure.

(2) Immediately after grant of medium-term open access, the nodal agency shall inform the Regional Load Despatch Centres and the State Load Despatch Centres concerned so that they can consider the same while processing requests for short-term open access received under Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State transmission) Regulations, 2008 as amended from time to time.

22. Execution of Dedicated Transmission Line

Medium-term customer may arrange for execution of the dedicated transmission line at its own risk and cost before the start date of the medium-term open access.

23. No overriding preference

On the expiry of period of the medium-term open access, the medium-term customer shall not be entitled to any overriding preference for renewal of the term.

24. Exit option for medium-term customers

A medium-term customer may relinquish rights, fully or partly, by giving at least 30 days prior notice to the nodal agency:

1

Provided that the medium-term customer relinquishing its rights shall pay applicable transmission charges for the period of relinquishment or 30 days whichever is lesser.

CHAPTER 7

CONDITIONS OF LONG-TERM ACCESS AND MEDIUM-TERM OPEN ACCESS

(1) When for the reason of transmission constraints or in the interest of grid security, it becomes necessary to curtail power flow on a transmission corridor, the transactions already scheduled may be curtailed by the Regional Load Despatch Centre.

(2) Subject to provisions of the Grid Code and any other regulation specified by the Commission, the short-term customer shall be curtailed first followed by the medium-term customers, which shall be followed by the long-term customers and amongst the customers of a particular category, curtailment shall be carried out on pro rata basis.

26. Transmission Charges

The transmission charges for use of the inter-State transmission system shall be recovered from the long-term customers and the medium-term customers in accordance with terms and conditions of tariff specified by the Commission from time to time:

Provided that if the State network is also being used in the access as a part of inter-State transmission system for the conveyance of electricity across the territory of an intervening State as well as conveyance within the State which is incidental to such inter-State transmission of electricity, recovery of charges for such State network and terms and conditions thereof shall be in accordance with the regulation as may be specified by the Commission under section 36 of the Act for intervening transmission facilities, if such charges and terms and conditions cannot be mutually agreed upon by the

Provided that any disagreement on transmission charges for such State network as specified above, shall not be licensees; the sole reason for denying access and either party may approach the Commission for determination of transmission charges for such State network.

27. Detailed Procedure

(1) Subject to the provisions of these regulations, the Central Transmission Utility shall submit the detailed procedure to the Commission for approval within 60 days of notification of these regulations in the Official Gazette:

Provided that prior to submitting the detailed procedure to the Commission for approval, the Central Transmission Utility shall make the same available to the public and invite comments by putting the draft detailed procedure on its website and giving a period of one month to submit comments;

Provided further that while submitting the detailed procedure to the Commission, the Central Transmission Utility shall submit a statement indicating as to which of the comments of stakeholders have not been accepted by it along with

reasons thereof.

(2) The detailed procedure submitted by the Central Transmission Utility shall, in particular, include-

- (a) The proforma for the connection agreement, referred to in clause (5) of regulation 8 above.
 - (b) The proforma for the long-term access agreement referred to in regulation 15 above:

Provided that the Transmission Service Agreement issued by the Central Government as part of standard bid documents for competitive bidding for transmission in accordance with section 63 of the Act shall be a part of this

Agreement along with necessary changes; Provided further that in case transmission system augmentation is undertaken through the process of competitive bidding in accordance with section 63 of the Act, the Transmission Service Agreement enclosed as part of bid documents shall be used as a part of the proforma agreement to be entered into between the applicant and the Central Transmission

(c) The time line for phasing of construction/modification of the transmission elements by the Central Transmis-Utility for long-term access. sion Utility/transmission licensee, as the case may be, and the coming up of generation facilities or facilities of bulk consumer, as the case may be, so as to match the completion times of the two :

Provided that the time period for construction of the transmission elements shall be consistent with the timeline for completion of projects included as Annexure-II to the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Tariff) Regulations, 2009.

(d) Aspects such as payment security mechanism and bank guarantee during the period of construction and operation:

Provided that the bank guarantee during construction phase shall not exceed Rs. 5 lakh per MW of the total power to be transmitted by that applicant through inter-State transmission system.

(e) The proforma for the medium-term open access: agreement, referred to in the second proviso to clause (1) of regulation 21 above.

(f) Provisions for collection of the transmission charges for inter-State transmission system from the long-term customers or medium-term customers, as the case may be, by the transmission licensee or the Central Transmission Utility as and when so designated in accordance with the first proviso to clause (1) of regulation 29 hereof and disbursement to the Central Transmission Utility and/or the transmission licensees as the case may be.

28. Fees and charges for the Regional Load Despatch Centre and the State Load Despatch Centre

(1) The fees and charges for the Regional Load Despatch Centre including charges for the Unified Load Despatch and Communication Scheme shall be payable by the long-term customer and medium-term customer as may be specified by the Commission.

(2) The fees and charges for the State Load Despatch Centre shall be payable as applicable.

29. Payment of transmission charges and Fees and Charges for the Regional Load Despatch Centre

(1) The transmission charges in respect of the long-term customer and medium-term customer shall be payable directly to the transmission licensee:

Provided that the Central Transmission Utility may be designated by the Commission as the agency for the purpose of collecting and disbursing the transmission charges for inter-State transmission system;

Provided further that when the Central Transmission Utility is so designated as the agency as aforesaid, the transmission charges shall be paid to it;

Provided also that the Central Transmission Utility shall enter into agreements with the long-term customers and medium-term customers for collection of transmission charges and with the transmission licensees whose inter-State transmission system is being used, for disbursement of transmission charges as received, pro rata to the transmission charges payable to the transmission licensees and to the Central Transmission Utility;

Provided also that the Central Transmission Utility shall be entitled to reimbursement of reasonable costs incurred by it in collecting the transmission charges of the other transmission licensees, as approved by the Commission.

(2) The fees and charges for Regional Load Despatch Centres (including the charges for Unified Load Despatch Scheme) and State Load Despatch Centres shall be payable by the long-term customer and medium-term customer directly to the Regional Load Despatch Centre or the State Load Despatch Centre concerned.

30. Unscheduled Inter-change (UI) Charges

(1) Scheduling of all transactions pursuant to grant of long-term access and medium-term open access shall be carried out on day-ahead basis in accordance with the Grid Code.

(2) Based on net metering on the periphery of each regional entity, composite accounts for Unscheduled Interchanges shall be issued for each regional entity on a weekly cycle:

Provided that Unscheduled Inter-changes accounting for intra-State entities shall not be carried out at the regional level.

(3) The State utility designated for the purpose of collection or disbursement of the Unscheduled Interchanges -charges from or to the intra-State entities shall be responsible for timely payment of the State's composite dues to the regional Unscheduled Interchanges Pool Account Fund.

(4) Any mismatch between the scheduled and the actual drawal at drawal points and scheduled and the actual injection at injection points for the intra-State entities shall be determined by the concerned State Load Despatch Centre and covered in the intra-State Unscheduled Interchanges accounting scheme.

(5) Unless specified otherwise by the State Commission concerned, the Unscheduled Interchanges rate for intra-State entity shall be 105% (for over-drawals or under generation) and 95% (for under-drawals or over generation) of the Unscheduled Interchanges rate at the periphery of regional entity.

31. Transmission Losses

The buyers of electricity shall bear apportioned losses in the transmission system as estimated by the Regional Power Committee.

32. Redressal Mechanism

All disputes arising out of or under these regulations shall be decided by the Commission on an application made in this behalf by the person aggrieved.

CHAPTER 8

INFORMATION SYSTEM

33. Information System

The nodal agency shall post the following documents/information on its website in a separate web-page titled "Long-term access and Medium-term open access information":

- (a) These regulations;
- (b) Detailed procedure;
- (c) List of applications, separately, for long-term access and medium-term open access received by the nodal agency along with necessary details.
- (d) Separate lists for long-term access and medium-term open access granted, indicating-
 - (i) Name of customers;
 - (ii) Period of the access granted (start date and end date);
 - (iii) Point or points of injection;
 - (iv) Point or points of drawal;
 - (v) Transmission systems used (in terms of regions and States);
 - (vi) Capacity (MW) for which access has been granted.
- (e) List of applications where approval for connectivity or long-term access or medium-term open access, as the case may be, has not been granted along with reasons thereof.

Provided further that it shall be a constant endeavour of the nodal agency to take steps in accordance with the requirements herein to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that information is disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

CHAPTER 9 MISCELLANEOUS

34. Repeal and Savings

(1) On commencement of these regulations, Regulation No.'s 4(1)(a), 4(ii), 5(i), 6(i), 7, 8(i), 9, 10, 11, 12, 16(i), 18, as far as it applies to long-term customers, and 31(i) of the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2004, shall stand repealed.

(2) Notwithstanding anything contained in clause (1), long-term access granted in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2004 shall continue to be valid till the expiry of the term of long-term access.

ALOK KUMAR, Secy. [No. ADVT III/4/150/09-Exty.]